कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,
काशीपुर, ऊधमसिंह नगर

पत्रांकः 457 /लेखा /दिनांकः 12-जून, 2024

सेवा में,

ओम एडवरटाईजर्स,
दैनिक जागरण/अमर उजाला,
काशीपुर ऊधमसिंह नगर।

महोदय,

संलग्न विज्ञापन इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इसे हिन्दी समाचार पत्र में दिनांक 13.06.2024 में छपने वाले संस्करण में राजकीय दरों पर न्यूनतम पठनीय साईज में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें तथा उक्त प्रकाशित निविदा विज्ञापन का बिल दो–दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–**यथोपरि।**

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अध्यक्ष,
किराया निर्धारण समिति/अपर आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर।

कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
बाजपुर रोड, काशीपुर ऊधमसिंह नगर

पत्रांकः 457 /लेखा/ दिनांकः 12 जून, 2024

–ःअल्पकालीन कोटेशन सूचनाः–

आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड के प्रयोजनार्थ 01 वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कैप्टन सीट चालक सहित प्रतिमाह अधिकतम रू0 48,490.00 (अड़तालीस हजार चार सौ नब्बे रू0) तथा अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड के प्रयोजनार्थ 01 वाहन महिन्द्रा स्कार्पियों, चालक सहित प्रतिमाह अधिकतम रू0 44,530.00 (चवालीस हजार पॉच सौ तीस रू0) उक्त दोनों वाहन 2022 से पूर्व के न हो, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड के अधीन पंजीकृत वाहन स्वामियों से दरें दिनांक 25–06–2024 को 01:00 बजे अपराह्न तक मुहर बन्द रूप में आमंत्रित की जाती है। कोटेशन प्रस्तुत के लिए इच्छुक फर्म को अंकन 10,000.00 (दस हजार रूपया) की प्रतिभूति अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड के पदनाम से बन्धक कराते हुए एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में प्रस्तुत करते हुये वाहन से सम्बन्धित समस्त प्रमाणित अभिलेख जमा करने होंगे।

तत्क्रम मे दर कोटेशन प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर में दिनांक 25–06–2024 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगे तथा इसी तिथि को अपराह्न 02.00 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा दर कोटेशन प्रस्ताव खोले जायेंगे। सील रहित लिफाफा स्वीकार नही होगा। बिना कारण बताए किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

सफल कोटेशनदाता के लिये सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 212/IX–1/2016/2011/2023 दिनांक 17.02.2023 में उल्लेखित नियम व शर्ते एवं समय–समय पर जारी अन्य नियम लागू होगे। नियम व शर्ते विभागीय बैवसाईड (Sugarcane.uk.gov.in) पर देखी जा सकती है।

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अध्यक्ष,
किराया निर्धारण समिति/अपर आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर।

कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर
(ऊधमसिंह नगर)
वाहन हेतु प्रारूप

(कोटेशन फार्म के समस्त क्रमांकों की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. वाहन का नाम–..
2. निविदादाता का नामः–...
3. पिता/पति का नामः–..
4. आधार संख्याः–..(छायाप्रति संलग्न करें)
5. स्थयी पता (अनिवार्य):–...

   ....
6. पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य):–...

   ....
7. मोबाईल संख्या (अनिवार्य):–...
8. जमा अर्नेस्ट मनी विवरण–बैंक का नाम...

   एफ0डी0आर0सं0......................................धनराशि...................................दिनांक.......................................
9. वाहन किराया रू0/प्रतिमाह...
10. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ आई0डी0प्रूफ के रूप में (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें।
11. वाहन के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)–...
12. वाहन के बीमें की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)–...
13. वाहन के परमिट की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)–...
14. वाहन के टैक्स रसीद की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)–...
15. वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)–...

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक–.......................................

पूरा नामः–..

नियम व शर्ते

1. वाहन का प्रकारः वाहन का मेक जो कि 2022 से पूर्व का न हो। वाहन की मेक के समर्थन में पंजीकरण प्रमाण पत्र–23, टैक्सी परमिट प्रपत्र 47, प्रपत्र 27 टूरिस्ट परमिट 38, फिटनेस प्रमाण पत्र, गाड़ी इन्श्योरेन्स, ड्राईविंग लाइसेंस की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है। वाहन की जॉच के उपरान्त ही वाहन चयन किया जायेगा।
2. सफल कोटेशनदाता से रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वर्ष 2024–25 हेतु कार्य आदेश निर्गत करने से पूर्व अनुबन्ध किया जायेगा।
3. किराया प्रतिमाह दरों में वाहन चालक का वेतन आदि वाहन रख–रखाव एवं वाहन मरम्मत सम्बन्धित समस्त करों को शामिल करके ही दरें दी जायें पृथक से कोई दरें मान्य नहीं होगी। वर्णित दरों की मान्यता न्यूनतम 01 वर्ष होगी। तथापि वाहन विशेष की अवधि आवश्यकतानुसार घटायी–बढ़ायी जा सकती है जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। जी0एस0टी0/अन्य टैक्स का भुगतान स्वयं फर्म द्वारा किया जायेगा। जी0एस0टी0/अन्य टैक्स हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। वाहन के किराये का भुगतान माह के समाप्त होने के उपरान्त/धनावंटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
4. ईंधन की देयता ईंधन (डीजल) विभाग द्वारा देय होगा।
5. टौल टैक्स देयता टौल टैक्स का भुगतान फर्म द्वारा किया जायेगा। तथा उसकी प्रतिपूर्ति फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जायेगी।
6. अन्य मान्यता यदि किसी अपरिहार्य कारणों से जैसे वाहन मरम्मत आदि से नियमित वाहन सुलभ कराना सुलभ न हो तो वाहन स्वामी द्वारा उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। ऐसा करने में असमर्थता जताने पर विभाग द्वारा स्थानीय बाजार से वाहन किराये पर लेते हुए तद्नुसार वाहन स्वामी के देयक से कटौती की जायेगी। दो बार से अधिक वाहन की अनुपलब्धता पर स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
7. ईंधन का न्यूनतम औसत कि0मी0 10 प्रति लीटर होगी।
8. वाहन इन्श्योरेन्स इन्श्योरेन्स का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा। वैध इन्श्योरेन्स की सत्यापित छायाप्रति कोटेशन के साथ लगानी आवश्यक होगी। परिवहन विभाग/पुलिस विभाग से सम्बन्धित सभी टैक्स/शास्ति व न्याय पालिका से सम्बन्धित कोई भी विवाद वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा।
9. वाहन का रोड टैक्स फिटनैस, बन्धक मुक्त और वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र का उत्तरदायित्व वाहन स्वामी को होगा। (प्रपत्र–38) वैध फिटनैस प्रमाण पत्र की छायाप्रति कोटेशन के साथ लगानी आवश्यक होगी। वाहन से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख सदैव वाहन के साथ होने चाहिये।
10. वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम स्थापित होना चाहिये।
11. चालक के ड्राईविंग लाइसेंस एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी टूरिस्ट परमिट प्रपत्र–27 की सत्यापित छायाप्रति कोटेशन के साथ लगानी आवश्यक होगी।
12. वाहन कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर में रखना होगा तथा चालक 24 घटें जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराना होगा। सुविधा के लिए चालक को मोबाईल फोन रखना होगा। मोबाईल फोन का खर्चा अंकित दर में ही सम्मिलित माना जायेगा। आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर की अनुमति के बिना वाहन को वाहन चालक कही भी लेकर नहीं जायेगा।
13. वाहन की जॉच के उपरान्त ही वाहन चयन किया जायेगा।
14. वाहन कच्ची/पक्की सड़कों पर उपयोग किया जायेगा तथा रात्रि विश्राम किया जा सकता है।
15. अन्य शर्ते सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 212/IX–1/2016/2011/2023 दिनांक 17.02.2023 में उल्लेखित नियम व शर्ते एवं समय–समय पर जारी अन्य नियम लागू होगे।

अध्यक्ष,
किराया निर्धारण समिति